

जारी है। मंत्रालय ने कुलपात का पत्र लिखकर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

दरअसल मंत्रालय की मनाही के बावजूद यूजीसी ने विश्वविद्यालय को पिछले महीने अनुदान जारी कर दिया था। मंत्रालय अब

इसमें लिखा है कि दश के सभा 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने जनरल फाइनेंस रूल 2017 पर मंत्रालय, यूजीसी व विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच एमओयू हो चुका है। एकमात्र डीयू ही दर्जन भर पत्र लिखे जाने के बावजूद अनदेखी कर रही है।

प्रत्याप नियमों का अनुदान के लिए फंड भी बढ़ाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि यदि नियमों उल्लंघन जारी रहा तो डीयू अनुदान रोक दिया जाएगा। इस अक्टूबर में शिक्षकों के बेतन तलवार लटक सकती है।

जामिया हमदर्द विवि परिसर प्लास्टिक मुक्त घोषित

अपर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय ने प्लास्टिक मुक्त बनने वाला दिल्ली-एनसीआर का पहला विश्वविद्यालय बनने का दावा किया है। विश्वविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी कैंटीन, दुकानें, कॉफी हाउस, रेस्टरां और हॉस्टल को मंगलवार को प्लास्टिक मुक्त किए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद

कैंटीन, कॉफी हाउस और हॉस्टल में नहीं होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल

प्लास्टिक के इन उत्पादों का इस्तेमाल करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अब विश्वविद्यालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल, कप, ग्लास, पॉलीथिन की थैलियों सहित 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कैंटीन और

शॉप कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद मेहताब अली ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि प्लास्टिक की इन वस्तुओं का इस्तेमाल किए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कमाल अहमद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस एस अख्तर, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मध्य जोन के उपायुक्त अमन गुप्ता, सहा.आयुक्त राहुल सिंह उपस्थित थे।